न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–373/2017 प्रार्थना पत्र
कामधेनु मंदिर समिति जरिये अध्यक्ष/सचिव सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–6.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2019/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 2022/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब बंद किया जाता हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी नें कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2019/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 2022/1 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, भीलवाड़ा को 900/–रूपये (नौ सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरग़ढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा